भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **5055** जिसका उत्तर

गुरूवार, **25 मार्च**, 2021/4 चैत्र, 1943 (शक) को दिया जाना है

एस.ए.आर.ओ.डी.पत्तन

†**5055. श्री पिनाकी मिश्रा:**

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एस.ए.आर.ओ.डी. पत्तन के प्रचालन का ब्यौरा और स्थिति क्या है;

(ख) क्या भारत के सभी बड़े पत्तनों के लिए एस.ए.आर.ओ.डी. पत्तन के अंतर्गत विवाद समाधान अनिवार्य होगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, जो अब तक एस.ए.आर.ओ.डी. पत्तनों का विकल्प लेने वाले रियायत ग्राहियों की संख्या और ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री मनसुख मांडविया)

(क): जी, हां। महापत्तन न्यासों और रियायतप्राप्तकर्ता/ ठेकेदार के बीच विभिन्न करारों के कारण तथा इनके निष्पादन के दौरान उत्पन्न होने वाले विवादों/मतभेदों के तीव्र, सस्ते, उचित और तार्किक निवारण के लिए दिनांक 30 जनवरी, 2020 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक 'सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स-पोर्ट्स (एस.ए.आर.ओ.डी-पत्तन)' का गठन किया गया है। एस.ए.आर.ओ.डी-पत्तन के गठन का उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में रियायतप्राप्तकर्ता के विश्वास को बढ़ाना तथा ईज ऑफ डूईंग बिजनेस को बढ़ावा देना है। सरोद पोर्ट्स के संचालन की स्थिति निम्नवत हैं:

i) एस.ए.आर.ओ.डी-पत्तन में 32 मध्यस्थ सूचीबद्ध किए गए हैं।

ii) एस.ए.आर.ओ.डी-पत्तन मध्यस्थता नियमों और आचरण नियमावली को अंतिम रूप दे दिया गया है।

iii) महापत्तन न्यासों से अनुरोध किया गया है कि वे रियायतप्राप्तकर्ताओं के साथ होने वाले विवादों/मतभेदों के मामलों को समाधान के लिए प्रेषित करना शुरू करें।

(ख): मंत्रिमंडल द्वारा जनवरी, 2018 में विधिवत अनुमोदित संशोधित मॉडल रियायत समझौते में ऐसे मामलों के लिए रियायतप्राप्तकर्ता और पत्तनों के बीच इस आशय का एक अनुपूरक समझौता निष्पादित करने का प्रावधान किया गया है, कि जहां उनके बीच विवाद का समाधान आपसी सहमति से नहीं होता, वहां इनको एस.ए.आर.ओ.डी-पत्तन के माध्यम से मध्यस्थता के द्वारा निपटाया जाना है।

(ग): ऊपर (ख) में दिए गए उत्तर के दृष्टिगत, यह प्रश्न लागू नहीं होता।

*****